Incentives to Doctors for serving in rural area

*430. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether any incentives are being given to doctors to serve in rural areas;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether any additional incentives are proposed to be provided during the Seventh Five Year Plan Period to doctors serving in rural areas?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) to (c) To attract medical graduates to accept appointments in rural areas, the 8th Finance Commission has recommended certain incentives which are:—

(1) Sanction of rural allowance at the rate of Rupees Two hundred and fifty per month for the doctors serving in Primary Health Centres; and

(2) House rent allowance at the rate of Rupees one hundred and fifty per month where the doctors are not provided residential accommodation.

In addition, the Finance Commission has recommended Rs. 53.52 crore for the construction of residential quarters for the doctors. The hilly areas have been provided 30 per cent 'Mark up' in the cost of construction. These recommendations have been accepted by the Finance Ministry. States which wish to seek a departure from these recommendations have to submit their Action Plan to the Ministry of Finance for approval. Presently there are no such other proposals under the consideration of Central Government.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों की हालत यह है कि अगर गांव में अस्पताल है तो डाक्टर नहीं हैं, अगर डाक्टर और अस्पताल दोनों हैं तो दवा नहीं है। क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान के जो डाक्टर हैं वे दुनियां के अन्य देशों के डाक्टरों की अपेक्षा सब से लोएस्ट पेड हैं। यही कारण है कि हमारे डाक्टर गांवों में काम नहीं कर रहे है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चीन में डाक्टर गांवों के लिए हैं और वे गांवों में काम भी करते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या डाक्टरों के अन्य देशों की अपेक्षा अच्छी तनखाहें और उनको इंसेंटिव देने की दिशा में कोई ठोस और समयबद्ध कदम उठायेंगे ताकि डाक्टर गांवों में जा कर काम कर सकें ?

SHRI KRISHNA KUMAR: Sir, a Working Group constituted by the Union Health Ministry had submitted detailed recommendations on enhancing the pay and allowances and other facilities for the doctors and also making it congenial for them to work in the rural areas. After a great edal of discussion, the Finance Commission has allowed only the two incentives which I have mentioned in the reply to the main question.

श्री कल्पनाथ राय : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूरे देश के डाक्टर्ज की जो गांवों में काम करते हैं उनके एक यूनीफार्म सिद्धान्त के तहत प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए अलाऊ करेगी ताकि वे रुचि ले सकें और गांवों में काम कर सकें।

MR. CHAIRMAN: Are they allowed private practice?

SHRI KRISHNA KUMAR: The question of private practice by Government medical practioners is a separate issue, but the Central Government is of the very firm opinion that private practice by Government doctors shall not be allowed and we

have asked all the State Governments to implement this decision. 22 out of the 31 States and Union Territories have already implemented this decision. As regards the other 9 States they are considering it. There are several problems. In some States where there are not enough private doctors, if it is immediately implemented, people will be denied access to health care facility. I may also state that the Government decision is, as stated in the National Health Policy, that the abolition of private practice by Government doctors is to be implemented only in phases.

श्री घनश्याम सिंह : मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि आपने जो सुविधाएं दी हैं ....

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी सेवा के लिये मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षायें

* 428. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या एफ 41-2/70-हिन्दी, दिनांक 20 मार्च, 1971 के द्वारा हिन्दी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली कुछ परीक्षाओं को केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन सेवा प्रयोजनों के लिए मान्यता प्रदान की थी ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित संस्थाओं के ब्यौरे सहित इन परीक्षाओं के नाम क्या हैं और केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न बोर्डों द्वारा ली जाने वाली समकक्ष परीक्षाएं कौन सी हैं ; और

(ग) कौन-कौन सी संस्थाओं की किन-किन परीक्षाओं की मान्यता केन्द्रीय सरकार द्वारा 1971 के पश्चात् समाप्त कर दी गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ? (नीचे देखिये)

(ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1971 के पश्चात् इनमें से किसी भी परीक्षा को मान्यता को वापस नहीं लिया है ।

विवरण

क्रम सं०	संस्था का नाम	परीक्षा का नाम जिसे मान्यता दी गई	समकक्ष परीक्षा के लिए निर्धारित हिन्दी का स्तर
1	2	3	4
1	हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग), इलाहाबाद	प्रथमा मध्यमा (विशारद) उत्तमा (हिन्दी साहित्य)	एस०एल०सी० बी०ए० बी०ए० (आनर्स) (हिन्दी)
2	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	परिचय कोविद रत्न	एस०एल०सी० इन्टर बी०ए०